

उत्तराखण्ड शासन
सुराज.गण्टाघर उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्या - /XLIII(I)/16-20(04)/2016
देहरादून दिनांक 14 जून, 2016।

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य की नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1337/XXXI(13)G/2011 दिनांक 28.10.2011, 368/XLIII(I)/16-20(04)/2016 दिनांक 28.04.2016 एवं 598/XLIII(I)/16-20(04)/2016 दिनांक 31.05.2016 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्-

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत दुकान तथा वाणिज्यिक अधिष्ठान का पंजीकरण	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	30 दिवस	सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त
2.	दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत दुकान तथा वाणिज्यिक अधिष्ठान का नवीनीकरण	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	30 दिवस	सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त
3.	मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पंजीकरण	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त	30 दिवस	अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड
4.	संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अन्तर्गत टेकेदार एवं मुख्य नियोजता का पंजीकरण	सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त	30 दिवस	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त	अपर श्रम आयुक्त
		सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त		अपर श्रमायुक्त	श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड
5.	संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अन्तर्गत टेकेदार एवं मुख्य नियोजता का नवीनीकरण	सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त	30 दिवस	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त	अपर श्रम आयुक्त
		सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त		अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त
6.	औद्योगिक अधिष्ठान (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के अन्तर्गत स्थायी आदेश के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवादों का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त	30 दिवस	सम्बन्धित अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त
7.	मवन एवं अन्य सन्निर्माण कामकार अधिनियम (नियोजन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिष्ठान तथा श्रमिकों का पंजीकरण	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	30 दिवस	सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त
8.	मवन एवं अन्य सन्निर्माण कामकार अधिनियम (नियोजन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिष्ठान तथा श्रमिकों का नवीनीकरण	सम्बन्धित सहायक श्रम आयुक्त	30 दिवस	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त	अपर श्रम आयुक्त
9.	कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत योजना एवं निर्माण/विस्तार/किरी मवन का कारखाना के रूप में प्रयोग करने हेतु अनुमति	300 कर्मकार तक सहायक निदेशक	30 दिवस	उप निदेशक	मुख्य कारखाना निरीक्षक
		300 कर्मकार से अधिक होने पर उप निदेशक		मुख्य कारखाना निरीक्षक	अपर संचिव, श्रम

10	कारखानों अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अधिष्ठानों का प्रतीकरण	500 कर्मचारियों तक सहायक निदेशक 500 कर्मचारियों से अधिक होने पर उप निदेशक	30 दिवस	उप निदेशक	मुख्य कारखाना निदेशक
11	कारखानों अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अधिष्ठानों का नवीनीकरण	500 कर्मचारियों तक सहायक निदेशक 500 कर्मचारियों से अधिक होने पर उप निदेशक	30 दिवस	उप निदेशक	मुख्य कारखाना निदेशक
12	बॉयलर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत अधिष्ठानों का प्रतीकरण	उप निदेशक कारखाना	30 दिवस	श्रम आयुक्त	कन्द्रीय बॉयलर बोर्ड
13	बॉयलर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत अधिष्ठानों का नवीनीकरण	उप निदेशक कारखाना	30 दिवस	श्रम आयुक्त	कन्द्रीय बॉयलर बोर्ड
14	अन्तरराष्ट्रीय प्रवासी कामगार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतीकरण	सहायक श्रम आयुक्त	30 दिवस	उप श्रम आयुक्त	अपर श्रम आयुक्त

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिनों की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवाय तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हर्याँकी)
प्रमारी सचिव।

संख्या: 758/XLIII(1)/16-20(04)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. मीडिया सेंटर।
11. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह हर्याँकी)
प्रमारी सचिव।